

राजस्थान सरकार  
राजस्व (गुप-6) विभाग


क्रमांक: प.9(13)राज-6/2021/77

जयपुर, दिनांक--08.04.2022

अधिसूचना


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की 260 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 102क के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियाँ, श्मशान, कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन (placed at its disposal) किये जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के समस्त जिलों के जिला कलक्टरों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किये जाने हेतु प्रत्योजित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(रामचरन शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, महाधिवक्ता महोदय, राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
11. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
12. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 08/04/2022 प्रकाशन हेतु।
13. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
14. समस्त संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव